

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद पिथौरागढ विकासखण्ड धारचूला में काली नदी के दाये तट पर घटगाड नाले से भारत नेपाल पुल तक तटबन्ध सुदृढीकरण की योजना (घोषणा संख्या-64/ 2019 एवं 436/2020) का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे :-

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एच0सी0 सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री सी0 रविशंकर, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री प्रमोद कुमार, प्रभारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री विकास श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. श्री डी0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :- वर्ष 2013-14 की अतिवृष्टि में भारत नेपाल पुल के अपस्ट्रीम में काली नदी के तीव्र कटाव से कई आवासीय भवन एवं कृषि भूमि खतरे में आ गये थे। काली नदी धारचूला में भारत-नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। अवगत कराया गया है कि नेपाल की ओर से काली नदी का River Training Work, Govt. of Nepal द्वारा किया जा चुका है इसके कारण नदी भारत की ओर अधिक कटाव कर सकती है, अतः परियोजना सामरिक दृष्टि से आवश्यक है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पिथौरागढ के क्षेत्र भ्रमण पर धारचूला करबें की काली नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु योजना प्रस्तुत करने के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अनुपालन में बाढ सुरक्षा योजना गठित की गयी है।

2. **भूमि की उपलब्धता** :- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :- परियोजना में 500 मीटर लम्बाई में आर0सी0सी0-एम-25 में 10.85 मीटर ऊँचाई में काउन्टर-फोर्ट रिटेनिंग वॉल का निर्माण एवं सी0सी0 1:2:4 मिक्स में 5 मी0 x 2.5 मी0 x 2.50 मी साईज के ब्लॉक द्वारा टो-प्रोटेसन तथा 15 मीटर की दूरी में 05 x 3 मी0 x 2.5 मी0 में आर0सी0सी0 एम-25 ब्लॉक के स्पर बनाये जाने का प्राविधान है।
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमत:-**
 - 4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.09.2021 में सम्पन्न हुई जिसमें योजना की तत्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है।
 - 4.2 योजना राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की 39वीं बैठक दिनांक 26.06.2021 में अनुमोदित है। योजना में 500 मीटर लम्बाई में नदी के दाये तट पर 10.85 मीटर ऊँचाई में आर0सी0सी0 एम-25 में Counter fort रिटेनिंग वॉल निर्माण का प्राविधान किया गया है।



- 4.3 योजना के क्रियान्वयन से 20 हेक्टेयर भूमि, 500 नं0 आवासीय भवन, 01 संख्या Suspension Bridge, 01 संख्या तहसील भवन, 01 नं0 प्राइमरी स्कूल, एवं 01 संख्या पब्लिक स्कूल को काली नदी के कटाव से सुरक्षा प्रदान किया जाना अवगत कराया गया है।
- 4.4 नदी के बहाव को सुरक्षा दीवार से दूर रखने हेतु रिटेनिंग वॉल के आगे पूरी लम्बाई में सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 में ब्लॉक साईज 05 x 2.5 x 2.5 मीटर की दो पंक्तियों में एप्रेन प्रस्तावित किये गये है।
- 4.5 आगणन में सुरक्षा दीवार के पृष्ठ भाग में 20,478 घन मीटर hand Packed Stone Filling का प्राविधान किया गया है, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त कार्य की Record माप शत-प्रतिशत सहायक अभियन्ता से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
- 4.6 आगणन में 10328 घण्टे Dewatering कराये जाने का प्राविधान है, इस कार्य हेतु कार्य स्थल पर लाग बुक रखी जाय जिसमें सक्षम अधिकारी से प्रतिदिन करायी गयी Dewatering का सत्यापन अवश्य कराया जाय।
- 4.7 योजना की hydrology का अध्ययन एवं hydraulic Design विभाग द्वारा इन-हाउस किया गया है।
- 4.8 योजना का स्ट्रक्चरल डिजाइन आई0आई0टी0, रूडकी के Civil Engineering के प्रो0 Z. Ahmed and Bhupender Singh द्वारा किया गया है। RCC कार्य हेतु Reinforcement Steel Fe 500 D गुणवत्ता का प्रस्तावित किया गया है।
- 4.9 नदी तट पर नीव की सुरक्षित भार वहन क्षमता 25 टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी है।
- 4.10 योजना आगणन में प्रपत्र-क एवं ख संलग्न है, योजना क्रियान्वयन हेतु अनावर्तक मद की लागत रू0 4050.89 लाख के सापेक्ष विभाग द्वारा रू0 40.51 लाख का प्रतिवर्ष आवर्तक व्यय अवगत कराया गया है।
- 4.11 योजना का लाभ लागत का अनुपात 1.66:1 आंकलित किया गया है।
- 4.12 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-


(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Particular	DSR	SOR	NSI
	Cost of Work	1020.56	2549.37	13.22
	Add 2% Contingency and Design		50.99	
	Add 1 % Quality Control		25.49	
	Total	1020.56	2625.85	13.22
	Earth Work		76.19	
	Total	1020.56	2702.04	13.22
	12% GST (excluding 2% contingency and 1% QC)		315.07	
	Total	1020.56	3017.11	13.22
	Grand Total		4050.89	

परियोजना की कुल लागत :- रू0 4050.89 लाख

5. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार-4.12 (Summary of Cost) में अंकित लागत के सारांश-4.12 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 4050.89 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-



- 5.1 सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता आपस में समन्वय स्थापित करते हुए तटबन्ध के ऊपर उपलब्ध भूमि पर बाईपास मार्ग के प्रस्ताव पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 5.2 निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की भूमि एवं आबादी को काली नदी के कटाव से सुरक्षा से सम्बन्धित है, सुरक्षा कार्य के लिए मुख्यतः आर०सी०सी०-एम-25 कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल प्रस्तावित की गयी है यद्यपि Protection Work हेतु निर्माण प्रणाली यथा Boulder Wire Crates, RR Masonry के अनुरूप प्रस्ताव Cost Effective नहीं है अपितु सामरिक महत्व का कार्य होने के दृष्टिगत विशेष परिस्थिति में आर०सी०सी० कार्य में सुरक्षा दीवार निर्माण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
- 5.3 आगणन में सुरक्षा दीवार के पृष्ठ भाग में 20,478 घन मीटर में सुरक्षा दीवार के पृष्ठ भाग में Hand Packed Stone Filling का प्राविधान किया गया है, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त कार्य की Record माप शत-प्रतिशत सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
- 5.4 आगणन में 10,328 घण्टा Dewatering कराये जाने का प्राविधान है, इस कार्य हेतु कार्य स्थल पर लागू बुक रखी जाय जिसमें सक्षम अधिकारी से प्रतिदिन करायी गयी Dewatering का सत्यापन अवश्य कराया जाय।
- 5.5 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।
- 5.6 निर्माण कार्य की एक ही समग्र निविदा की जायेगी और किसी भी दशा में निविदा हेतु कार्य के टुकड़े नहीं किये जायेंगे। निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं workmanship प्रत्येक दशा में उच्च स्तर की बनाये रखना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.7 योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5.8 कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
- 5.9 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पी०बी०सी० पाईप, cement, Steel एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- 5.10 आगणन में एस०ओ०आर०/डी०एस०आर० की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।
- 5.11 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.11 तक निहित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों पर शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।





(मनीषा पंवार)

अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)

संख्या 1356/769/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/सिंचाई/2021

देहरादून: दिनांक: 28, अक्टूबर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

आज्ञा से,


(मेजर योगेन्द्र यादव)

अपर सचिव